राजभाषा विभाग

- संगठनात्मक चार्ट
- राजभाषा संवर्ग
- राजभाषा प्रयोग की स्थिति
- भारत सरकार की राजभाषा नीति का संक्षिप्त परिचय
- राजभाषा अधिनियम, 1963
- राजभाषा संकल्प, 1968
- राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा अनुभाग का संगठनात्मक चार्ट

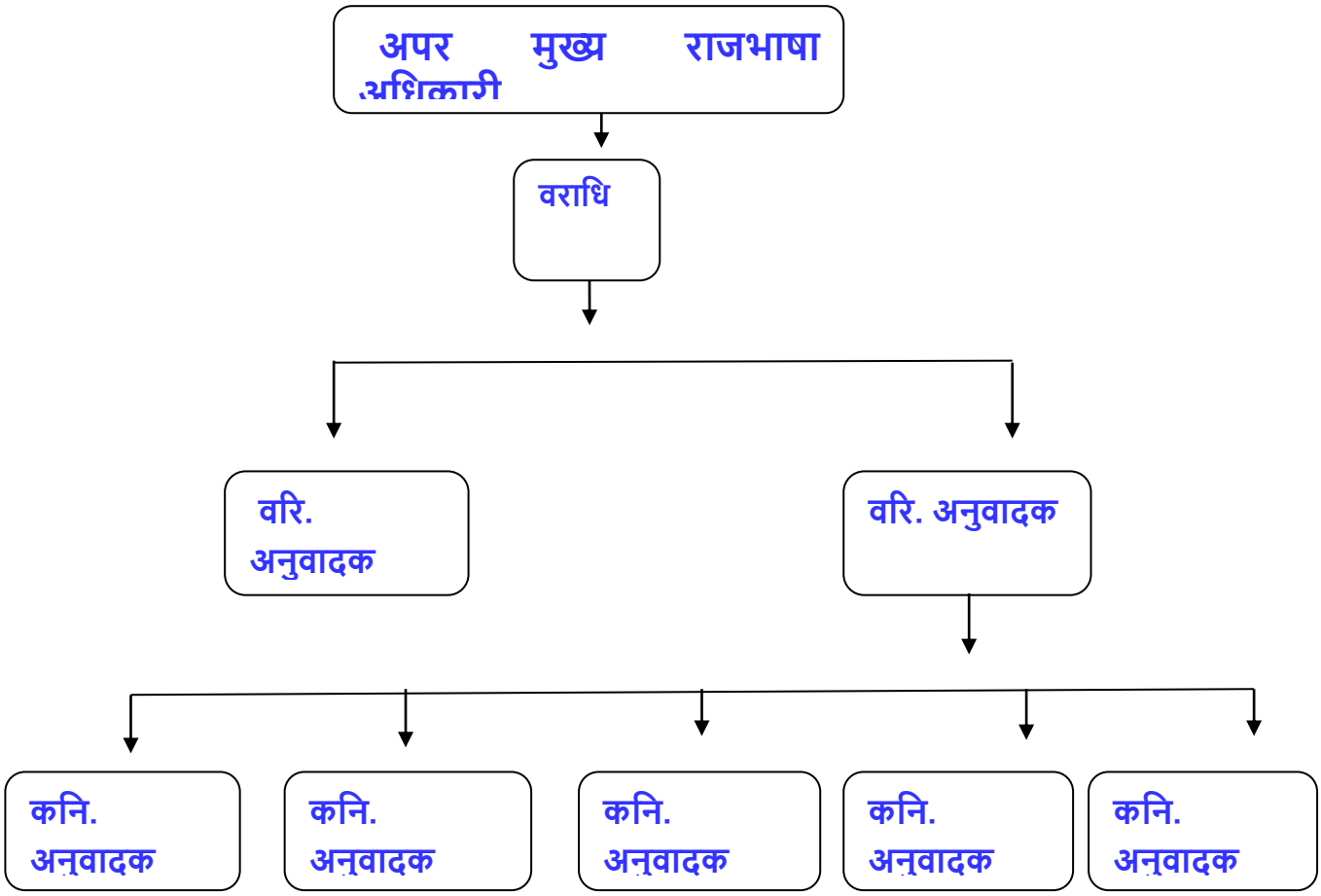

उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर मंडल
राजभाषा विभाग

1. मंडल पर राजभाषा संवर्ग की स्थिति -

क्र.सं	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्तियां
1.	वरि.राजभाषा अधिकारी	01	01	--
2.	वरिष्ठ अनुवादक	01	01	--
3.	कनिष्ठ अनुवादक	05	01	04
4.	चपरासी/ जमादार	02	01	01
	कुल	09	04	05

2. लक्ष्य -

इस कार्यालय में सभी अधिकारी व कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं अथवा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं । यह कार्यालय राजभाषा नियम 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत अधिसूचित है जहां सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाना अपेक्षित है। मंडल पर राजभाषा के प्रयोग प्रसार को बढावा देने के लिए राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंधों, राजभाषा अधिनियम 1963 तथा इसके अधीन बनाए गए राजभाषा नियम 1976 एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों का समुचित अनुपालन किया जा रहा है। यह मंडल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निहित लक्ष्यों की प्राप्ति में सदैव अग्रणी रहा है ।

क) कंप्यूटर पर हिंदी – अंग्रेजी में कार्य करने की सुविधा -

मंडल के सभी कंप्यूटरों पर हिंदी-अंग्रेजी में कार्य करने करने की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा मंडल के सभी कंप्यूटरों पर यूनीकोड में कार्य करने की सुविधा उपलब्ध करा कर कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को आवश्यक्ता अनुसार यूनीकोड आधारित हिंदी कुंजीयन प्रशिक्षण दिया जाता है।

ख) हिंदी प्रशिक्षण –

मंडल के सभी अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में प्रवीणता प्राप्त हैं । अत: इन अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

3. मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोधपुर -

यह समिति **मंडल रेल प्रबंधक** की अध्यक्षता में गठित है । अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी इस समिति के उपाध्यक्ष तथा वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी सदस्य सचिव हैं । मंडल के सभी शाखा अधिकारी इस समिति के सदस्य है। इस समिति की प्रत्येक तिमाही के दौरान एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें तिमाही के आधार पर राजभाषा प्रयोग - प्रसार संबंधी प्रगति की समीक्षा की जाती है। तिमाही अवधि के दौरान राजभाषा के प्रयोग-प्रसार से संबंधित पायी गई कमियों को दूर करने के लिए यथासमय अपेक्षित कार्रवाई की जाती है।

4. स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समितियां -

मंडल के प्रमुख स्टेशनों व कार्यालयों में कुल 10 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित हैं। इन समितियों की बैठकें नियमित रूप से तिमाही आधार पर आयोजित की जा रही है। मंडल पर गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	समिति का नाम
1.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., जोधपुर
2.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., डीजल शैड, भगत की कोठी
3.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., मेङ्ता रोड
4.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., डेगाना
5.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., मकराना
6.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., नागौर
7.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., लूनी
8.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., समदड़ी
9.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., बाङमेर
10.	स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति, उ.प.रे., जैसलमेर

5. हिंदी पुस्तकालय व वाचनालय -

मंडल पर कुल 8 हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय है जिनका विवरण निम्नानुसार है -

क्र.सं.	पुस्तकालय का नाम
1.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., मंडल कार्यालय जोधपुर।
2.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., रेलवे अस्पताल जोधपुर
3.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर
4.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., रेलवे सुरक्षा बल बैरक जोधपुर
5.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., डीजल शेड भगत की कोठी
6.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे.,मेड़तारोड
7.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., समदङी
8.	हिंदी पुस्तकालय एवं वाचनालय उ.प.रे., जैसलमेर।

6 . मंडल पर राजभाषा सप्ताह/पखवाड़ा समारोह –

01. जोधपुर मंडल पर प्रतिवर्ष सितंबर माह में राजभाषा सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जाता है। राजभाषा सप्ताह/पखवाड़े का कार्यक्रम इस प्रकार रखा जाता है कि **राजभाषा सप्ताह/पखवाड़े का मुख्य कार्यक्रम 14 सितंबर को हो।**

02. राजभाषा सप्ताह/पखवाड़ के दौरान राजभाषा के प्रयोग-प्रसार हेतु **विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।** इनमें प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं । इसके अलावा विभिन्न विषयों पर हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जाता है । **साथ ही वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रशंसनीय प्रयोग करने वाले मंडल के कुल 40 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है ।**

7. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोधपुर –

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय इस समिति का **संयोजक कार्यालय** है । इस नगर में स्थित सभी केन्द्रीय कार्यालय, निगम, उपक्रम एवं अनुसंधान संस्थान इस समिति के सदस्य कार्यालय हैं । **मंडल रेल प्रबंधक** इस समिति के पदेन अध्यक्ष एवं **वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी** सदस्य सचिव हैं।

1. इस समिति के वर्तमान में कुल 41 सदस्य कार्यालय हैं । **इस समिति की प्रत्येक छ:माह में एक बैठक आयोजित की जाती है** जिसमें सभी **सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रधान** भाग लेते है। नराकास स्तर पर सरकारी कामकाज में हिंदी के सराहनीय व प्रशंसनीय प्रयोग करने पर सदस्य कार्यालय को राजभाषा शील्ड प्रदान की जाती है।
2. नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जोधपुर के स्तर पर प्रकाशित होने वाली **" सूर्योदय "** नामक वार्षिक हिंदी पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है ।

****

भारत सरकार की राजभाषा नीति का संक्षिप्त परिचय

संकलन - राजभाषा विभाग उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल

संघ की राजभाषा नीति संबंधी संवैधानिक उपबंध –

(भारत का संविधान-भाग 5(120) भाग 6 (210) और भाग 17 (343 से 351 तक)

अनुच्छेद 120 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा –

भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परन्तु, यथास्थिति राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंन्दी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नही कर सकता अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

अनुच्छेद 210 विधान मंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा –

भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किन्तु अनुच्छेद 148 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान मंडल कार्य राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परन्तु यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो उपर्युक्त भाषाओं में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नही कर सकता, अपनी मातृभाषा में सद को सम्बन्धित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । (यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं है)

अनुच्छेद 343 – संघ की राजभाषा –

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा। खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

अनुच्छेद 344 राजभाषा के लिए आयोग और संसद की समिति –

राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारम्भ से दस वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवी अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जब कि राष्ट्रपति नियुक्त कर और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जांने वाली प्रक्रिया पर निश्चित की जाएगी ।

अनुच्छेद 345 प्रादेशिक भाषाएं –

145 अनुच्छेद 146 और अनुच्छेद 347 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा उस राज्य से प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा परन्तु जब तक राज्य का विधान मण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करें तब तक राज्य के भीतरी उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था ।

अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में अथवा राज्य और संघ के बीच में संचार के लिए राजभाषा -

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि को राजभाषा होगी। परन्तु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते है कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा ।

अनुच्छेद 347 किसी राज्य के जनसमुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध-

यदि इस निमित मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में संबध या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट कर शासकीय मान्यता दी जाए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा –

इस भाग के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संनद विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे तब तक.उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां, संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन में पुर:स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधन, संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के और इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन जारी किए गए सभी आदेशों,नियमों,विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होगे ।

अनुच्छेद 349 भाषा संबंधी कुछ विधियों को अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया –

इस संविधान के प्रारम्भ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 148 के खण्ड (!) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबन्ध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुन:स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुर:स्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खण्ड (!) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और अनुच्छेद 344 के खण्ड (!) के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और अनुच्छेद के खण्ड (4) के अधीन गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात ही होगा, अन्यथा नहीं।

अनुच्छेद 350 व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन की भाषाए –

किसी भी शिकायत के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को यथास्थिति संघ में या राज्य की प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा में प्रत्येक व्यक्ति को हक होगा।

अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश –

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढाए उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं के प्रयुक्त रूप शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द

भण्डार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृदि सुनिश्चित करें ।

अष्टम अनुसूची (अनुच्छेद 344 (।) और 351)

1. असमिया 2. उडिया 3. उर्दू 4. कन्नड़ 5. कश्मीरी 6. गुजराती 7. तमिल 8. तेल्लुगु 9. पंजाबी 10. बंगला 11. मराठी 12. मलयालम 13. संस्कृत 14. सिन्धी 15. हिन्दी 16. नेपाली 17. कोंकणी 18. मणिपुरी 19. बोडो 20. मैथिली 21. संथाली 22. डोगरी

****

राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967)

उन भाषाओं का, जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद में कार्य के संव्यवहार, केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जा सकेगी, उपबन्ध करने के लिए अधिनियम। इस अधिनियम में कुल 9 धाराए है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

धारा 1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –

यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा। इस अधिनियम की धारा 3, जनवरी 1965 के 26वें दिन को प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख को प्रवृत्त हो जिसे केन्द्रीय सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों केलिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी ।

धारा 2 परिभाषाएं-

नियत दिन से धारा 3 के संबंध में जनवरी 1965 का 26वां दिन अभिप्रेत है और इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के संबंध में वह अभिप्रेत है जिस दिन को यह उपबन्ध प्रवृत होता है और हिंदी से वह हिंदी अभिप्रेत है जिसकी लिपि देवनागरी है,

धारा 3 राजकीय प्रयोजनों और संसद में प्रयोग के लिए हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहना –

संविधान के प्रारम्भ से पंद्रह वर्ष की कालावधि की समाप्ति हो जाने पर भी, हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा नियत दिन से ही संघ के राजकीय प्रयोजनों एवं संसदीय संव्यहार में प्रयोग लाई जा सकेगी।

3 (2) हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग –

केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग या कार्यालय अथवा उनके स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के बीच, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कम्पनी या उसके किसी कार्यालय के और किसी अन्य ऐसे निगम या कम्पनी या कार्यालय के बीच प्रयोग में लायी जाती है, वहां उस तारीख तक जब तक, पूर्वोक्त संबंधित मंत्रालय, विभाग कार्यालय का निगम या कम्पनी का कर्मचारी हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे पत्रादि का अनुवाद, यथास्थिति, अंग्रेजी भाषा या हिंदी में भी दिया जाएगा।

3 (3) हिंदी अंग्रेजी का प्रयोग –

इस धारा के अंतर्गत निम्नलिखित कागजात हिंदी - अंग्रेजी में जारी करना अनिवार्य है :-

सामान्य आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, संकल्प, अधिसूचनाएं, प्रेस विज्ञप्तियाँ , संविदाएं , करार लाइसेंस, परमिट, टेंडर फार्म और टेंडर नोटिस, नियम,संसद के एक सदन या दोनो में प्रस्तुत सरकारी कागज-पत्र और प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्ट।

3 (4) केन्द्रीय सरकार धारा 8 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उस भाषा उन भाषाओं का उपबन्ध कर सकेगी जिसे या जिन्हें संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए, जिसके अंतर्गत किसी मत्रांलय विभाग अनुभाग या कार्यालय का कार्यकरण है, प्रयोग में लाया जाना है और ऐसे नियम बनाने में राजकीय कार्य के शीघ्रता और दक्षता के साथ निपटारे का तथा जन साधारण के हितों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा

3 (5) उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्ध और उपधारा (2) उपधारा (3) उपबन्ध तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग समाप्त कर देने के लिए ऐसे सभी राज्यचों के विधान मण्डलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है,संकल्प पारित नहीं कर दिए जाते और तब तक पूर्वोक्त संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात ऐसी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा, संकल्प पारित नहीं कर दिया जाता ।

धारा 4 राजभाषा के सम्बन्ध में समिति –

जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनो सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी । इस समिति में तीस सदस्य होंगे जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे तथा दस राज्य सभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश: लोक सभा के सदस्यों तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे ।

धारा 5. केन्द्रीय अधिनियम आदि का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद –

नियत दिन को और उसके पश्चात शासकीय राजपत्र में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी केन्द्रीय अधिनियम का या राष्ट्रपति द्वारा पख्यापित किसी अध्यादेश का अथवा संविधान के अधीन या किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का हिंदी में अनुवाद उसका हिंदी में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

धारा 6 कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद -

जहां किसी राज्य के विधानमण्डल ने इस राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में प्रयोग के लिए हिदी से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां संविधान के अनुच्छद 348 खंड(3) द्वारा अपेक्षित अंग्रेजी भाषा के उसके अनुवाद से अतिरिक्ति उसका हिंदी में अनुवाद उस राज्य के शासकीय राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से नियत दिन को या उसके पश्चात प्रकाशित किया जा सकेगा और ऐसी दशा में किसी अधिनियम या अध्यादेश का हिंदी में अनुवाद हिंदी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा

धारा 7 उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राज्यभाषा का वैकल्पिक प्रयोग -

नियत दिन से ही या तत्पश्चात किसी भी दिन से किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति किी पूर्व सम्मति से अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी या उस राज्य की राजभाषा का प्रयोग उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा पारित या दिये गये किसी निर्णय डिक्री या आयोग के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत कर सकेगा । और जहां कोई निर्णय डिक्री या आदेश (अंग्रेजी भाषा से भिन्न) ऐसी किसी भाषा में पारित किया या दिया जाता है वहां उसके साथ साथ उच्च न्यायाल के प्राधिकार से निकाला गया अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी होगा ।

धारा 8 नियम बनाने की शक्ति –

केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कायार्ंन्वत करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

धारा 9 कतिपय उपबन्धों का जम्मू-कश्मीर को लागू न होना -

धारा 6 और 7 के उपबन्ध जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू न होंगे ।

****

राजभाषा संकल्प, 1968

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जनवरी 1968

संकल्प

1. " जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ के कर्तव्य है ;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति बढाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उतरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिंदी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास हेतु सामूहिक उपाय किए जाने चाहिए;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के साथ-साथ इन सभी भाषाओं के समन्वित विकास हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से एक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें।

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किए गए त्रि-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णत: कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी किया जाना चाहिए ;

यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी- भाषी क्षेत्रों में, हिंदी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए, और अहिंदी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी के अध्ययन के लिए उस सूत्र के अनुसार प्रबंध किया जाना चाहिए।

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में देश के विभिन्न भागों के लोगों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाए

यह सभा संकल्प करती है –

(क) कि उन विशेष सेवाओं अथवा पदों को छोड़कर जिनके लिए ऐसी किसी सेवा अथवा पद के कर्तव्यों के संतोषजनक निष्पादन हेतु केवल अंग्रेजी अथवा केवल हिंदी अथवा दोनों जैसी की स्थिति हो, का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाए, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एख का ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित होगा ; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केंद्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिए संविधाकी आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी। "

ह. /-
आर.डी.थापर,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग), 1976 (यथा संशोधित, 1987)

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ –

इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संध के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है । इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है । ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं –

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

क. अधिनियम से राजभाषा अधिनियम , राजभाषा अधिनियम 1963, 1963 का 19) अभिप्रेत है ।

ख. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय विभाग या कार्यालय केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय :

ग कर्मचारी से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ।

घ अधिसूचित कार्यालय से नियम 10 के उपनियम 4 के अधीन अधिसूचित कार्यालय अभिप्रेत है :

ङ हिंदी में प्रवीणता से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है :

च क्षेत्र **क** से बिहार, झारखंड हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है:

छ क्षेत्र **ख** से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य और चंडीगढ दमन व दीप व दादर नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है :

ज क्षेत्र **ग** से खण्ड च और छ में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है :

झ हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है:

3. राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि –

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र क में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोङकर हिंन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी का कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते है तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा । केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र ख में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिंदी में होंगे और यदि कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते है तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाएगा परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिदिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिंदी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ।

4 केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि –

केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है परन्तु हिंदी में पत्रादि ऐसे अनुपात से होगें जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिंदी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर अवधारित करें । केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते है ।

5. हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर –

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी,हिंदी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जएंगे।

6. हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग -

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करले कि ऐसी दस्तावेजों हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही में तौयार की जाती है, निष्पादित की जाती है और जारी की जाती है ।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि की भाषा –

कोई कर्मचारी आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है और कोई आवेदन अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर किए गए हो तब उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी है से संबंधित कोई ओदश या सूचना, जिनका कर्मचारी पर तामिल किया जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिंदी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना –

कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण व कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें । (2) केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं । यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नही तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।

केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा, जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिपपण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाए, केवल हिंदी का प्रयोग किया जाएगा ।

9. हिंन्दी में प्रवीणता -- यदि किसी कर्मचारी ने .....

मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उसमें उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है : या स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उसमें उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था या यदि वह इन नियमों के उपाबद प्रारूप में यह घोषण करता है कि उसे हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है: तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

10. हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान - (।) (क) यदि किसी कर्मचारी ने

मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी विषय के साथ उतीर्ण कर ली है : या केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि इस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है : या केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है: या यदि वह इन नियमों से उपबद प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है ।

11. मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि –

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं, और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा । केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी औरन अंग्रेजी में होंगे । केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचनापट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी में लिखी जाएगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगे।

12. <u>अनुपालन का उत्तरदायित्व</u> –

केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है :और इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

****